

1152  
संख्या-~~1152~~/15-7-08-18(80)/2007

प्रेषक  
नमता श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में  
सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग  
विषय - सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल, सिकन्दरा, आगरा को सी.बी.ई.ए.सी.ई.ओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।  
लखनऊ दिनांक 20 फरवरी, 2008

नहोचब

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी.बी.ई.ए.सी.ई.ओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अवीन आपत्ति नहीं है-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत साप्ताहिकी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेयादी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ.प्र.माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वैजिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)  
उप सचिव।

पत्रसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(माड),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 4- निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक,सेन्ट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल,सिकन्दरा,आगरा।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)  
उप सचिव।